आदेश पत्रक
(नियम 13)
{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

पुत्र चोथमल वगैरह जाति मेघवंशी वार्ड नम्बर 11 मुकुन्दगढ तहसील	–बनाम–	चोथमल पुत्र बिड़दाराम वगैरह जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 11 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ

मु.नं. 141 / 2023

कदमा –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

2023 यह प्रार्थना–पत्र वादी कि ओर से जरिये वकील श्री महेश कुमार नारनोलिया ने पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 हैक्टर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नही करें, विक्रय नही करें, आवेदकगण को उक्त भूमि में अपनी कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने से नही रोके, उक्त कार्य अनावेदकगण ना तो स्वयं करे ओर ना ही अपने किसी नौकर–चाकर, दायभागियो, रिश्तेदारो आदि से करवायें। वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 हैक्टर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नही करें, विक्रय नही करें, आवेदकगण को उक्त भूमि में अपनी कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने से नही रोके, उक्त कार्य अनावेदकगण ना तो स्वयं करे ओर ना ही अपने किसी नौकर–चाकर, दायभागियो, रिश्तेदारो आदि से करवायें। वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित / कटानी / डबल–डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 11.01.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ ... द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा ... अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली ... को पेश हो।
27/3/24

21/3/24 वकील अप्र पक्ष उप०। अनावेदक सं. 1 लगा० 10 की ओर से वकील श्री बिनाडे कुशवाल उपस्थित। अना सं. 11 व 12 की मूल पाद मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई है अतः इस प्रा० पत्र मे भी एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अना. सं. 13 की ओर से पेश० (मू० उप०) ~~[illegible]~~ अना० सं. 7 लगा० 10 की ओर से जवाब प्रा० पत्र पेश किया। शेष 1 लगा 6 का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वाद्दे जवाब 1 लगा 6 अना. हितैक 8/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुं.)

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेश अनुसार दिनांक 22/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

22/4/24 पत्रावली पेश। ... उपस्थित। गत आदेशानुसार ... दिनांक 30/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

30/4/24 पत्रावली ... उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली ... दिनांक 13/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड ...
नवलगढ़

13/5/24 पत्रावली पेश। ... उपस्थित। गत आदेशानुसार ... दिनांक 7/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

7/6/24 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 19/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज/कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/2024 वकील उभय पक्ष उप०/प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद का अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रा० पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11-12-2023 तत्काल प्रभाव से वेकेट/अपास्त किया जाता है। प्रकरण खारिज किया जाकर नत्थी के क्रम से बाद तकमील आर्सल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)	

Scanned with CamScanner

Reader
8
11/12/023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ़।

1. गुगनराम पुत्र चोथमल
2. सीताराम पुत्र चोथमल

समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

..........आवेदकगण

बनाम

1. चोथमल पुत्र बिड़दाराम
2. ज्याना देवी पत्नी चोथमल
3. महीपाल
4. हरिराम
5. राकेश कुमार
6. श्रवण कुमार पुत्रगण चोथमल
7. कुरड़ाराम पुत्र बिड़दाराम
8. बनवारी पुत्र बिड़दाराम
9. विनोद कुमार पुत्र स्व. सुण्डाराम
10. रामचन्द्र पुत्र स्व. सुण्डाराम

समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

11. बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

Scanned with CamScanner

12.उप पंजीयन मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि आवेदकगण ने एक उनवानी वाद गुगनराम आदि बनाम चोथमल आदि का माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जो बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है।
2. यह कि राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 है0 स्थित है। जिसके संवंध में आवेदकगण उक्त वाद/प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश कर रहे है। जिसे आगे वाद/प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संवोधित किया जा रहा है।
3. यह कि विवादित भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है अनावेदक संख्या 01 आवेदकगण का पिता है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2

गुगनराम श्रीराम

Scanned with CamScanner

में वर्णित भूमि में आवेदकगण के पिता चोथमल का 1/4 हक व हिस्सा है तथा आवेदकगण के पिता चोथमल के 1/4 हक व हिस्से पर आवेदकगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के बाह्मी बंटवारे में आवेदकगण के हक व हिस्से में आई है उक्त भूमि आवेदकगण मय परिवार तथा मवेशियों सहित आबाद है तथा उक्त भूमि में आवेदकगण के नाम घरेलू कनेक्शन जारी किया हुआ है उक्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है पैत्रिक भूमि में आवेदकगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो गये है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में आवेदकगण के पिता का 1/4 हक व हिस्सा अनावेदक नं0 7 व 8 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक व हिस्सा तथा अनावेदक नं. 9 व 10 के पिता सुण्डाराम का 1/4 हक व हिस्सा है तथा मौके पर विधिपूर्ण विभाजन नही हुआ है शामलाती रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

5. यह कि उपरोक्त विवादित भूमि आवेदकगण के पिता चोथलम के 1/4 हक व हिस्से पर आवेदकगण का कब्जा काश्त होने से व मौके पर उपरोक्त भूमि पर काबिज है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की नियत खराब हो गई है प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से शामलाती कब्जे व काश्त

गुणानराम ३/८/२५

Scanned with CamScanner

की पैत्रिक भूमि को एकतरफा बाला–बाला ही विक्रय करना चाहते है कानूनन शामलाती पुश्तेनी भूमि को बिना विधिवत बंटवारा करवाये बिना कोई भी हिस्सा विक्रय करने का अनावेदकगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है परन्तु अनावेदकगण संख्या 1 के नाम भूमि होने से अपने पुत्रो आवेदकगण को उपरोक्त भूमि से वैध अधिकारो से वंचित करने के लिए उनके हक व हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से किसी अजनबी को विक्रय करना चाहते है चुंकि अनावेदक नं0 1 राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते है जबकि अनावेदक नं0 1 को पैत्रिक भूमि होने से आवेदकगण को वंचित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है जब तक भूमि का विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक उपरोक्त भूमि की प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त प्रत्येक काश्तकारो का माना जाता है अगर अनावेदक नं. 1 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो आवेदकगण को अपार क्षति होगी जिससे व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढ़ेगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी रूप में संभव नही होगी। आवेदकगण को अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 धमकी दे रहे है कि हम तुम्हे भूमि से बेदखल करेगें तथा प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि को विक्रय करेगें

Scanned with CamScanner

तथा विक्रय पत्र उप पंजीयन संख्या 12 के कार्यालय में तस्दीक करवायेगें। इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है कि अनावेदकगण आवेदकगण को जबरन बेदखल नही करें, आवेदकगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा ना ही भूमि को विक्रय करें, अनावेदक संख्या 1 द्वारा पेश दस्तावेजात को अनावेदक संख्या 12 तस्दीक नही करें, इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की नियत में फर्क आ गया है दिनांक 07.12.2023 को आवेदकगण को धमकी दी है कि हम तुम्हे जबरन भूमि से बेदखल करेगें क्योंकि हमने भूमि का सौदा कर लिया है यह भूमि हम बेचना चाहते है इसलिए तुम यह जमीन छोड़कर चले जाओं तब आवेदकगण ने नकल लेने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में वादकारण पैदा हुआ।

7. यह कि आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है अगर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाता है तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका खामियाजा किसी भी सूरत में संभव नही होगा।

गुमानाराम सीताराम

Scanned with CamScanner

8. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र ...2.../–रूपयें कोर्ट फीस पर पेश है।

9. यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 है0 भूमि के संबंध में ताफैसला दावा अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नही करें, विक्रय नही करें, आवेदकगण को उक्त भूमि में अपनी कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने से नही रोके, उक्त कार्य अनावेदकगण ना तो स्वयं करें ओर ना ही अपने किसी नोकर–चाकर, दायभागियो, रिश्तेदारा आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांकः– 11.12.2023

आवेदकगण

1. गुगनराम
2. सीताराम पुत्रगण चोथमल जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

Scanned with CamScanner